विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-18/14

मेसर्स जी.टी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, – आवेदक
30, प्रथम तल मानव निकेतन,
प्रेस काम्प्लेक्स, एम.पी. नगर,
जोन 1, भोपाल (म.प्र.)

विरूद्ध

उप महाप्रबंधक,
(संचा./संधा.) संभाग,
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, – अनावेदक
गुना (म.प्र.) – 473001

आदेश

(दिनांक 27.11.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (भोपाल एवं ग्वालियर क्षेत्र) (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जावेगा) के शिकायत प्रकरण क्रमांक T-31 मेसर्स जी.टी.एल. इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विरूद्ध उप महाप्रबंधक में पारित आदेश दिनांक 09.05.2014 के विरूद्ध आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसने मोबाईल टॉवर के लिए अस्थाई विद्युत कनेक्शन की मांग की थी और ऐसा अस्थाई कनेक्शन 10.06.2013 को दिया गया था, परन्तु उसके द्वारा उपभोग किए गए विद्युत का जो टैरिफ उससे वसूल किए जाने के लिए मांग पत्र जारी किया गया था वह उचित नहीं था । उसने मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेश के अनुसरण में निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक (मांग पत्र) संशोधित करने का निवेदन किया था, परन्तु उसका निवेदन अनावेदक द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उससे सुरक्षा निधि के रूप में अत्यधिक राशि की मांग की जा रही है, अतः वर्ष 2013–14 के लिए जारी टैरिफ शेड्यूल के अनुसार उसे देयक जारी किया जाए और उसके द्वारा पूर्व में जमा की गई राशि को उक्तानुसार समायोजित किया जाए ।

3. अनावेदक ने उपभोक्ता के आवेदन का विरोध इस आधार पर किया है कि उपभोक्ता को वर्ष 2013–14 के लिए जारी टैरिफ शेड्यूल एल.वी. 2.2 के प्रावधानों के अनुसार देयक जारी किए गए हैं और वह किसी तरह का समायोजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता को कनेक्शन लिए जाते समय ही यह जानकारी दे दी गई थी कि उसे किस केटेगिरी का टैरिफ लागू होगा, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा किया गया विवाद मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

4. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी रिटेल सप्लाई टैरिफ 2013–2014 के टैरिफ शेड्यूल एल0वी0 2.2 की सब केटेगिरी में दिए गए वर्गीकरण *"Temporary connection for marriage purposes at marriage gardens or marriage halls or any other premises covered under LV 2.1 and 2.2 categories"* के अनुसार ही देयक जारी किया जाना चाहिए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता द्वारा की गई शिकायत मान्य किए जाने योग्य नहीं है ।

5. **इस मामलें में विचारणीय प्रश्न यह है कि** – उपभोक्ता से किस टैरिफ शेड्यूल के अनुसार टैरिफ वसूल किया जाना चाहिए ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है:

6. उभयपक्ष के विवाद के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2013–14 के लिए जो टैरिफ शेड्यूल निर्धारित किया गया है अर्थात् एल0वी0 – 2 का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जो इस प्रकार है :–

Tariff Schedule – LV-2

NON-DOMESTIC:

LV 2.1

Applicability:

This tariff is applicable for light, fan and power to Educational Institutions including workshops and laboratories of Engineering Colleges / Polytechnics/ITIs (which are registered with /affiliated/ recognized by the relevant Govt. body or university), Hostels for students or working women or sports persons (run either by Govt. or individuals)

Tariff:

Tariff shall be as given in the following table:

Sub category	Energy Charge (paise/unit) Urban/ Rural areas	Monthly Fixed Charge (Rs.)	
		Urban areas	**Rural areas**
Sanctioned load based tariff (only for connected load up to 20 kW)	520	90 per kW	60 per kW
Optional -Demand based Tariff (Only for contract demand above 10 kW and up to 20 kW)	520	180 per kW or 144 per kVA of billing demand	120 per kW or 96 per kVA of billing demand
Mandatory demand based tariff for contract demand above 20 kW	520	180 per kW or 144 per kVA of billing demand	120 per kW or 96 per kVA of billing demand

<u>LV 2.2</u>

Applicability:

This tariff is applicable for light, fan and power to Railways (for purposes other than traction and supply to Railway Colonies/water supply), Shops/showrooms, Parlours, All Offices, Hospitals and medical care facilities including Primary Health Centers, clinics, nursing homes belonging to either Govt. or public or private organisations, public buildings, guest houses, Circuit Houses, Government Rest Houses, X-ray plant, recognized Small Scale Service Institutions, clubs, restaurants, eating establishments, meeting halls, places of public entertainment, circus shows, hotels, cinemas, professional's chambers (like Advocates, Chartered Accountants, Consultants, Doctors etc.), bottling plants, marriage gardens, marriage houses, advertisement services, advertisement boards/ hoardings, training or coaching institutes, petrol pumps and service stations, tailoring shops, laundries, gymnasiums, health clubs, **telecom towers for mobile communication** and any other establishment (except those which are covered in LV 2.1), who is required to pay Commercial tax/service tax/value added tax (VAT)/entertainment tax/luxury tax under any Central/State Acts.

Tariff:

Tariff shall be as given in the following table:

Sub category	Energy Charge (paise/unit) Urban/ Rural areas	Monthly Fixed Charge (Rs.)	
		Urban areas	**Rural areas**
On all units if monthly consumption is not more than 50 units	540	50per kW	30 per kW
On all units in case monthly consumption exceeds 50 units	600	85 per kW	60 per kW
Optional demand based Tariff (only for contract demand above 10 kW and up to 20 kW)	525	190 per kW or 152 per kVA of billing demand	120 per kW or 96 per kVA of billing demand
Mandatory demand based tariff for Contract demand above 20 kW	525	190 per kW or 152 per kVA of billing demand	120 per kW or 96 per kVA of billing demand
Temporary connections including Multi point temporary connection at LT for Mela*	715	130 per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest	85 per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load whichever is the highest

Sub category	Energy Charge (paise/unit) Urban/ Rural areas	Fixed Charge (Rs.)	
		Urban areas	Rural areas
Temporary connection for marriage purposes at marriage gardens or marriage halls or any other premises covered under LV 2.1 and 2.2 categories	715 (Minimum consumption charges shall be billed @ 6 Units per kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part there of subject to a minimum of Rs.500/-)	50 for each kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part thereof	30 for each kW or part thereof of sanctioned or connected or recorded load, whichever is the highest for each 24 hours duration or part thereof
For X-Ray plant	Additional Fixed Charge (Rs. per machine per month)		
Single Phase	450		
Three Phase	650		
Dental X-ray machine	50		

* In case permission for organizing Mela is granted by Competent Authorities of the Government of Madhya Pradesh.

Specific Terms and Conditions for LV-2 category:

a) **Minimum consumption:** The consumer shall guarantee a minimum annual consumption of 360 units per kW or part thereof in urban areas and 180 units per kW or part thereof in rural areas of **sanctioned load or contract demand (in case of demand based charges) .** However, the load of X-Ray unit shall be excluded while considering the load of the consumer for calculation of minimum consumption. The method of billing minimum consumption shall be as given in General Terms and Conditions of Low Tension tariff.

b) **Additional Charge for Excess demand:** Shall be billed as given in General Terms and Conditions of Low Tension tariff.

c) **Rebate in Energy Charges for connection of Telecom Infra Structure situated in rural areas**: In order to give impetus to proliferation of telecommunication services in the rural areas in the State, a rebate of paisa 25 per unit in energy charges shall be given to the connections of mobile communication towers situated in rural areas.

d) Other terms and conditions shall be as specified under General Terms and Conditions of Low Tension Tariff.

e) For LV-1 and LV-2: Any consumer having contract demand of 10 kW or more and upto 20 kW may opt for demand based Tariff, however, for the consumers having contract demand in excess of 20 kW demand based tariff is mandatory. The Distribution Licensee shall provide Trivector /Biverctor Meter capable of recording Demand in kVA/kW, kWh, kVAh.

7. टैरिफ शेड्यूल एल0वी0 2.2 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि इस शेड्यूल के दो उप विभाग हैं । पहले भाग में मंथली फिक्स चार्ज लिया जाता है और दूसरे भाग में केवल फिक्स चार्ज लिया जाता है । दूसरा भाग जिसमें फिक्स चार्ज लिये जाने का प्रावधान है, का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि ऐसा फिक्स चार्ज उन उपभोक्ताओं से लिया जाता है जो विवाह के प्रयोजन के लिए अस्थाई कनेक्शन प्राप्त करते हैं तथा टैरिफ शेड्यूल 2.1 तथा 2.2 में वर्णित परिसरों में विवाह के प्रयोजन के लिए यदि अस्थाई कनेक्शन लिया जाता है तो ऐसे अस्थाई कनेक्शन के लिए इस भाग के प्रावधान लागू होते हैं।

8. टैरिफ शेड्यूल के प्रावधान का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मोबाईल टावर के लिए टैरिफ शेड्यूल का पहला भाग अर्थात् *"Temporary connections including Multi point temporary connection at LT for Mela"* के प्रावधान लागू होंगे तथा उक्त प्रावधानों के अनुसार ही उपभोक्ता से मंथली फिक्स चार्ज लिया जाना चाहिए ।

9. यहां इस तथ्य का उल्लेख किया जाना उचित होगा कि मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो टैरिफ आदेश जारी किया गया है उसके एल0वी0 – 2 के प्रावधानों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मोबाईल टावरों के लिए विवाह प्रयोजन हेतु जारी टैरिफ शेड्यूल लागू नहीं होगा, परन्तु इतनी सामान्य सी बात विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारी जो कि प्रशिक्षित अधिकारी होते हैं न समझते हो यह नहीं माना जा सकता है । इस तथ्य से ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा जान–बूझकर मनमाने तरीके से आयोग के द्वारा निर्मित नियमों के विरूद्ध देयक जारी किए जा रहे हैं और उसका कारण यह बताया जा रहा है कि उपभोक्ता को कनेक्शन देते समय यह बता दिया गया था कि उससे किस टैरिफ शेड्यूल के अनुसार विद्युत का मूल्य वसूल किया जाएगा । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी के अधिकारियों द्वारा दिया गया यह तर्क समझ से परे हैं और ऐसे तर्क को मान्य नहीं किया जा सकता है ।

10. अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन स्वीकार किया जाता है । फोरम के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उपभोक्ता को वर्ष 2013–14 में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ शेड्यूल एल0वी0 2.2 के प्रथम भाग में वर्णित उपभोक्ताओं की परिधि में

माना जाए और उससे मंथली फिक्स चार्ज वसूल किए जाने के लिए वर्णित रीति से संशोधित देयक जारी किया जाए । उपभोक्ता द्वारा जो अतिरिक्त राशि जमा की गई हो उसका समायोजन आगे आने वाले देयकों में 3 माह के अन्दर किया जाए अथवा उपभोक्ता को 3 माह के बाद 1 माह की अवधि के अन्दर अतिरिक्त राशि वापस की जाए । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता द्वारा गलत टैरिफ शेड्यूल के आधार पर जारी देयक अदा न किए जाने पर यदि उसका विद्युत कनेक्शन विच्छेदित किया गया हो तो उपभोक्ता की मांग पर बिना अतिरिक्त राशि वसूल किए पुनः नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिया जावे तथा इस प्रयोजन हेतु यदि उपभोक्ता से अधिक राशि वसूल की गई हो तो उसे 3 माह के अन्दर वापस किया जाए ।

11. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल